Jitendra Srivastava, IAS
Executive Director,
State Health Society, Bihar

बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

सं0स0 : SHSB/G.A/1061/Part-II
पत्रांक : ....

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक : / /2015

विषय : **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अंतर्गत आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ), फार्मासिस्ट एवं ए0एन0एम0 की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत आयुष चिकित्सकों के 2136, फार्मासिस्ट के 1068 एवं ए0एन0एम0 के 1068 पदों पर नियोजन हेतु पी0 आर0 संख्या–6896/2013 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन समर्पित कराये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या – 22835/2013 में पारित आदेश के आलोक में पुनः ऑनलाईन आवेदन समर्पित कराकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB), पटना द्वारा दिनांक 17.09.2014 को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी। आवेदकों के प्राप्तांक के आधार पर BCECEB द्वारा उपलब्ध कराये गये औपबंधिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का मेधा क्रम के अनुसार दिसम्बर माह में कोटिवार काउन्सेलिंग करायी गयी। काउन्सेलिंग उपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 2812, दिनांक 05.05.2015 एवं पत्रांक 2913, दिनांक 07.05.2015 द्वारा **Cleared** एवं **Conditionally Cleared** अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 3156 अभ्यर्थियों को चयनित कर नियोजन हेतु जिला आवंटित किया गया था।

2. जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर रिक्त पदों पर नियोजन हेतु कार्यहित में प्रतीक्षारत सूची में से आवश्यकतानुसार कोटिवार रिक्त पदों के विरूद्ध कुल 117 अभ्यर्थियों का चयन कर नियोजन हेतु जिला आवंटित किया जाता है। आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ), फार्मासिस्ट एवं ए0एन0एम0 की सूची संलग्न है।

3. **उल्लेखनीय है कि Conditionally Cleared की सूची में शामिल अभ्यर्थियों के नियोजन से पूर्व संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का दायित्व होगा कि अभ्युक्ति कॉलम में उनके नाम के सामने अंकित आपत्तियों/कारणों का निराकरण आवश्यक रूप से कर लें।**

4. अतः उक्त के आलोक में Cleared एवं Conditionally Cleared अभ्यर्थियों की जिलावार तैयार सूची संलग्न करते हुए कहना है कि आयुष चिकित्सकों, ए0एन0एम0 एवं फार्मासिस्ट की (नियुक्ति/पदस्थापन) जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष–सह–जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत

Jitendra Srivastava, IAS
Executive Director,
State Health Society, Bihar

निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन निर्धारित मानदेय के अनुसार संविदा पर नियोजन करना सुनिश्चित किया जायः–

(i) संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ)/फार्मासिस्ट/ए०एन०एम० को नियमित नियुक्ति मान्य नहीं होगी। यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ, औपबंधिक तथा अस्थायी रूप से की जाएगी।

(ii) अभ्यर्थियों की उम्र–सीमा अधिकतम 45 वर्ष होगी, जिसके लिए गणना की आधार तिथि 01.10.2013 होगी।

(iii) आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ)/फार्मासिस्ट/ए०एन०एम० का चयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया गया है। इनका पदस्थापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रखंड स्तर पर किया जाना है। अतः प्रखंड का आवंटन संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा।

(iv) आयुष चिकित्सकों को 20,000/–रू0, ए0एन0एम0 को 11,500/–रू0 एवं फार्मासिस्ट को 12,000/–रू0 प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

(v) आयुष चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अनुबंध संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ग्यारह माह के लिए किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी कर्मी का स्थानान्तरण अन्यत्र दूसरे जिला में किया जाएगा तो उस परिस्थिति में उसका अनुबंध नव पदस्थापित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नये सिरे से किया जायेगा तथा उसके पूर्व पदस्थापित जिला का अनुबंध स्वतः समाप्त समझा जाएगा–कृपया इस आशय का स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में कर दिया जाए।

(vi) भविष्य में आवश्यकता नहीं रहने पर या PIP के अंतर्गत पदों की स्वीकृति नहीं होने पर या सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर या किसी भी अन्य कारण से संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अनुबंध एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(vii) संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अभ्यावेदन के साथ इस आशय का इन्डेमनिटी बांड संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे तथा भविष्य में हटाए जाने पर वे किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे।

Jitendra Srivastava, IAS
Executive Director,
State Health Society, Bihar

(viii) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सकों का यह अनुबंध आधारित नियोजन जिला विशेष में सृजित आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सकों के पदों की सीमा के अंतर्गत होगा।

(ix) चयनित उम्मीदवारों से नियुक्ति के पूर्व यह शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि जाँच के उपरांत डिग्री/डिप्लोमा या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी तथा कार्यरत अवधि के दौरान भुगतान की गयी राशि को ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी।

(x) अनुबंध की शर्त्तों में अन्य शर्त्तों के अतिरिक्त क्रमांक (ix) की शर्त्तों को भी समाहित करते हुए अनुबंध पत्र पर चयनित आयुष चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाय।

(xi) अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् एक माह के भीतर इनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों/बिहार का स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र/आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन करा लिया जाय।

5. अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में दिनांक 14.09.2015 तक नियुक्ति/पदस्थापन की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय तथा कृत कार्रवाई से दिनांक 16.09.2015 तक अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक – 5795

पटना, दिनांक: 05/09/2015

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि के अंदर आवंटित जिला में योगदान करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय–सीमा के अंदर योगदान नहीं करने की स्थिति में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5/9

कार्यपालक निदेशक